कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–जबलपुर

E-mail:-deo.mpedjbp@mp.gov.in , PH 0761-2624358

निविदा सूचना क्र/आब./2020/

जबलपुर, दिनांक 17/03/2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष **2020–21** अवधि दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिये आबकारी विभाग में अपराध नियंत्रण एवं प्रर्वतन कार्य हेतु मासिक किराये पर कुल 12 वाहनों के अनुबंध हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से मुहरबंद निविदायें सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट जबलपुर में दिनांक **30.03.2020** दिन **सोमवार दोपहर दो बजे** तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रू **500/– (पांच सौ रूपयें)** ई. चालान द्वारा जमा कर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक **30.03.2020** दिन **सोमवार** (शाम 4 बजे) खोली जावेगी। निविदादाता की अनुउपस्थिति, टेण्डर खोलने की प्रकिया को वाधित नही करेगीं। अपराध नियंत्रण एवं प्रर्वतन कार्य हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहन पंजीयन वर्ष 2017 के पूर्व का नही होना चाहिए। वाहन को मासिक किराये पर अनुबंधित किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति, पंजीकृत फर्म/संस्था द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। निविदा से संबंधित शर्तो एवं निर्बंधनों की जानकारी कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(सत्यनारायण दुबे)
सहायक आयुक्त आबकारी
जिला–जबलपुर

पृ.क्र./आब./वा.नि.सू./2020 743

जबलपुर, दिनांक 17/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टेनो टू कलेक्टर जबलपुर/अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर की ओर विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
2. जिला परिवहन अधिकारी, जबलपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से ट्रेवल एजेंसी को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी जबलपुर। कृपया उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निः ुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र कलेक्ट्रेट जबलपुर की ओर वेबसाईट पोर्टल में प्रकाशन हेतु ।
5. आबकारी नियंत्रण कक्ष, प्रभारी अधिकारी, जबलपुर की ओर विज्ञप्ति कि अतिरिक्त प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि 5 से अधिक स्थानीय ट्रेवल एंजेंसी जबलपुर को उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति तामील कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. आबकारी उपनिरीक्षक, जबलपुर नगर वृत क्रमांक.................. की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ अग्रेशित।
7. जिला कार्यालय के सूचना पटल पर लगाये जाने हेतु।
8. ट्रेवल एजेंसी..जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला–जबलपुर